बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

वृहस्पतिवार, तिथि १० अक्टबर १९६३।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १० अक्तूबर, १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short-notice Questions and Answers.

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या "१४" का उत्तर तैयार नहीं होने के कारण सदन में वादविवाद।

श्री गिरीश तिवारी--उत्तर तैयार नहीं है।

अध्यक्ष--मैं राज्य-मंत्री से कह देना चाहता हूं कि यह प्रश्न २५ सितम्बर को ही संबंधित विभाग में भेज दिया गया था और यह एक अल्पसूचित प्रश्न है अतः इसका जवाब तैयार होना चाहिए था।

श्री गिरीश तिवारी--इस प्रश्न का जवाब मंगाने के लिये जहांतक कार्रवाई हो सकती थी, उतनी कार्रवाई की गयी अर्थात् तार आदि भेजा गया परन्तु सब तरह से प्रयास करने के बाद भी जवाब नहीं आ सका।

अध्यक्ष--यदि माननीय मंत्री समझें कि इतने कम समय में जवाब तैयार नहीं हो सकता है तो अल्पसूचित प्रश्न को यदि मंजूर नहीं किया जाय तो अच्छा होगा।

श्री गिरीश तिवारी--अब नहीं लिया जायेगा।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या '४१' के संबंध में।

श्री गिरीश तिवारी--इस प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं है।

*श्री तेज नारायण झा--यह अल्पसूचित प्रश्न भी बहुत पहले दिया जा चुका है परन्तु अभीतक इसका भी जवाब तैयार नहीं हो सका है और अब इसका उत्तर हमलोगों को मिलेगा भी नहीं।

(४) आर्थिक संकट के कारण शिक्षक इकाईयों के आवंटन के लिए इस वर्ष कोई उपबंध नहीं है अगले वर्ष शिक्षक इकाई के आवंटन की प्राप्ति पर इस स्कूल के स्तरोन्नयन के प्रश्न पर विचार प्रस्ताव जिला शिक्षा द्वारा किया जायगा।

अधिकारियों की लापरवाही से परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित।

१०९३। श्री राजपति राम—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि संताल परगना जिले के मेहरमा अंचल अन्तर्गत श्री दीघीश्वर नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का परीक्षा प्रवेश पत्रक (ऐडमिट कार्ड) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा "पूरक परीक्षा" आरंभ होने के दिन तक विद्यालय में नहीं मिलने के कारण इस विद्यालय के ५ छात्र पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके;

(२) क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय के छात्रों को परीक्षा देने के लिये बिहार विद्यालय समिति ने वार्षिक परीक्षा में दुमका केन्द्र निर्धारित किया तथा पूरक परीक्षा में भागलपुर परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर दी किन्तु इसकी सूचना भी उपर्युक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक के कार्यालय में कभी नहीं भेजी गई;

(३) क्या यह बात सही है कि उनका केन्द्र पहले जैसा दुमका ही रहा होगा, यह समझकर वहां के विद्यार्थी सब-के-सब चले गये थे किन्तु उनमें से कुछ जो भागलपुर होकर लौटे तो वहां पर यह पता लगने पर कि उनका इस बार केन्द्र भागलपुर हुआ है वे तत्काल वहां परीक्षा में बैठ सके, किन्तु कुछ विद्यार्थी जो भागलपुर होकर नहीं आये थे परीक्षा देने से वंचित रह गये;

(४) क्या यह बात सही है कि इस विषय की शिकायत उपर्युक्त विद्यालय के प्राचार्य के पत्रांक ९९-प्रा०, दिनांक १८ जुलाई १९६३ द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के मंत्री को देने पर भी अबतक कोई उत्तर उनकी ओर से प्रधानाध्यापक को नहीं मिला है;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस विषय की तहकीकात शीघ्र करा, इसके लिये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अथवा भागलपुर परीक्षा केन्द्र के सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालयों में जो सब अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन्हें उचित सजा देने का क्या प्रबंध कर रही है और उन विद्यार्थियों को जो उनकी असावधानी के कारण पूरक परीक्षा में बैठने से वंचित रहे, सरकार उन्हें क्या सुविधा देना चाहती है?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) १९६३ की पूरक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दीघीश्वर नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का परीक्षा प्रवेश पत्रक (ऐडमिट कार्ड) नियमानुसार भागलपुर जिला स्कूल केन्द्र में परीक्षा से १० दिन पूर्व ही भेज दिया गया था और इसकी सूचना विद्यालय को भी दी गई थी। उक्त विद्यालय को भी दी गई थी। उक्त विद्यालय के १७ छात्रों में से १२ छात्रों ने इसी आधार पर परीक्षा भी दी। पांच छात्र किस कारण से परीक्षा न दे सके, ज्ञात नहीं है। इसकी जांच में समय लगेगा।

(२) प्रथम खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है। द्वितीय खंड के संबंध में यह कहना है कि पूरक परीक्षा में छात्रों के प्रत्येक आवेदन पत्र एवं प्राचार्य द्वारा भेजे गये नामानुकूल

पंजी (अल्फावेटिकल लिस्ट) में भागलपुर केन्द्र लिखा गया था। अतएव इसी आधार पर परीक्षा केन्द्र भागलपुर जिला स्कूल रखा गया और इसकी सूचना विद्यालय को ५ जुलाई १९६३ को अन्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टींग दी गई थी।

(३) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि छात्र कहां और क्यों गये, परन्तु कहीं भी जाने के पूर्व उन्हें प्राचार्य से सूचना प्राप्त करना चाहिए था। कितने छात्र भागलपुर केन्द्र में नहीं बैठ सके इस संबंध में जांच की अपेक्षा है।

(४) जी हां, इस तरह का एक पत्र परीक्षा समिति की तिथि २२ जुलाई १९६३ को प्राप्त हुआ था और उसका उत्तर २५ जुलाई १९६३ को ही भेजा गया।

(५) यह प्रश्न नहीं उठता है। तौभी पांच (५) लड़कों ने परीक्षा क्यों नहीं दी और कितने लड़के भागलपुर में केन्द्र बदलने के कारण परीक्षा नहीं दे सके इसकी जांच की जायगी। जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई हो सकती है।

HOSTEL FOR RANCHI COLLEGE.

1094. Shri GIRJA PD. SINGH and Shri INDRA NARAIN SINGH : Will the Minister, Education Department, be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the Ranchi University came into existance in the year 1960 ;

(2) whether it is a fact that the main college of this University viz., Ranchi College has no hostel building of its own ;

(3) whether it is a fact that hostels have been kept in hired buildings, which are in undesirable localities and far away from the College buildings ;

(4) whether it is a fact that hostel no. 5 of Ranchi College which is situated in Kishoreganj Harmu Road is at a distance of 4 miles from the college and the condition of the above hostel building is hopeless and it may collapse at any moment causing injuries and death to the students living therein ;

(5) if the answers to the above clauses bee in the affirmative, do Government consider the desirability of providing other suitable accommodation to the students living in the hostels of Ranchi College and getting the hostel buildings of the Ranchi College constructed by the end of 1963 ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है। परन्तु रांची कॉलेज के कई छात्रावास किराया के मकान में हैं।

(३) छात्रावास किराया के मकान में हैं। परन्तु वे ऐसे इलाके में नहीं हैं जिसे खराब कहा जा सके और न वे कॉलेज से बहुत दूर ही हैं।